भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर
केम्प इंदौर म.प्र.

दुर्गाबाई पिता रतनलाल, पति रामचंद्र, जाति माली,
निवासी– ग्राम मतलबपुरा तह धार —— निगरानीकर्ता

बनाम

1. नंदकिशोर पिता रतनलाल, जाति माली,
2. भागीरथ पिता रतनलाल जाति माली
दोनो निवासी–ग्राम मतलबपुरा तह धार —— विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता एवं विपक्षीगण के पिता रतनलाल जी के नाम पर ग्राम–मतलबपुरा, तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 26/3, 27/3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42/1,, 118, 133, 140 कुल सर्वे नंबर 13 कुल रकबा 10.685 हेक्टर की भूमि स्थित रही है। विपक्षीगण ने निगरानीकर्ता की बगैर जानकारी के उक्त भूमि पर रतनलालजी की मृत्यु पर हल्का पटवारी से मिलकर नामांतरण पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 1/10/2013 द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया और निगरानीकर्ता एवं अन्य वारिसों का नाम दर्ज नहीं करवाया। तदपश्चात निगरानीकर्ता को जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग–2, धार के न्यायालय में वाद घोषणा, बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबद वाद प्रस्तुत किया। विपक्षीगणों को वाद की जानकारी होने के पश्चात विपक्षीगणों ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय में उक्त भूमि का बटवारा किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 62/2014–15/अ–27 पर दर्ज है। निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि का बटवारा न किये जाने बाबद अधिनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की, अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता की आपत्ति पर साक्ष्य न लेते हुए केवल विपक्षीगण के जवाब के आधार पर ही निगरानीकर्ता की आपत्ति दिनांक 03/03/2016 निरस्त कर दी। उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1599–पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2016	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–3–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में अपना अंश होना एवं व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के आधार पर प्रकरण समाप्त करने संबंधी आपत्ति ली गई है । इस संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है, अतः आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई हैं । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	